

न्यायालय—प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—1 के अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—1,
तहसील चंदेरी, जिला अशोकनगर म0प्र0

(पीठासीन अधिकारी— आसिफ अहमद अब्बासी)

व्यवहार वाद क्रं. 50ए/2016

संस्थित दिनांक—04.07.2015

1. हजारी पुत्र सुक्के कुशवाह आयु 59 साल,
धंधा खेती,
2. अर्जुन पुत्र सुक्के कुशवाह आयु 42 साल
धंधा खेती निवासीगण हरकुण्ड मोहल्ला पुरा,
चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0

..... वादीगण

विरुद्ध

1. देवीसिंह पुत्र सुक्के कुशवाह आयु 55 साल,
धंधा खेती निवासी हरकुण्ड हाट का पुरा,
चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0
2. म.प्र. राज्य द्वारा जिलाधीश जिला अशोकनगर म.प्र.

..... प्रतिवादीगण

// निर्णय //

:: आज दिनांक 25.01.2018 को पारित ::

- 01— यह वाद ग्राम सराय तहसील चंदेरी स्थित भूमि सर्वे क्रमांक—274 रकबा—1.766 हैक्टेयर जिसके बंटाकन के उपरांत सर्वे नंबर—274 मिन—01 रकबा—1.034 हैक्टेयर रकबा—274 मिन—02 रकबा—0.732 हैक्टेयर भूमि के संबंध में जिसे निर्णय के आगे चरणों में विवादित भूमि के नाम से संबोधित किया जा रहा है। पर वादीगण का पृथक—पृथक 1/3—1/3 भाग पर स्वत्व घोषित किये जाने के घोषणात्मक सहायता के साथ उक्त अनुसार राजस्व अभिलेखों में वादीगण का नामांतरण कराने का अधिकार घोषित किये जाने एवं सर्वे क्रमांक 274 मिन—01 रकबा—1.034 हैक्टेयर पर प्रतिवादी क्रमांक—01 का राजस्व अभिलेख में नामांतरण निरस्त कराने का वादीगण को अधिकारी घोषित किये जाने की घोषणात्मक सहायता प्राप्त करने बाबत् प्रस्तुत किया गया है।
- 02—प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि विवादित भूमि पूर्व में कनैई पुत्र लाडले कुशवाह के स्वत्व व अधिपत्य की भूमि होकर राजस्व अभिलेखों में दर्ज थी तथा कनैई की मृत्यु के पश्चात् उक्त भूमि पर कनैई की पत्नी मुलिया बाई का नामांतरण स्वीकार हुआ। प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि कनैई की एक मात्र, वारिस उसकी पत्नी थी तथा उसके कोई सत्तान नही थी तथा

वादीगण एवं प्रतिवादी क्रमांक-01 कनैई के भाई सुक्के कुशवाह के पुत्र होकर कनैई के सगे भतीजे थे। प्रकरण में यह भी स्वीकृत तथ्य है कि कनैई एवं मुलिया बाई का देहांत हो चुका है। प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि सर्वे नंबर 274 मिन-01 रकबा-1.034 हैक्टेयर पर प्रतिवादी क्रमांक-01 एवं सर्वे क्रमांक 274 मिन-02 रकबा-0.732 हैक्टेयर भूमि पर वादीगण का राजस्व अभिलेखों में नामांतरण हुआ है।

03—दावा संक्षेप में इस प्रकार है कि कनैई की विवादित भूमि को छोड़कर अन्य भूमियों के संबंध में कोई विवाद नहीं है। कनैई और मुलियाबाई के कोई संतान नहीं थी तथा वादीगण एवं प्रतिवादी क्रमांक-01 का कनैई के एक मात्र उत्तराधिकारी है। कनैई ने अपनी समस्त भूमि एवं चल-अचल संपत्तियों के संबंध में वादीगण तथा प्रतिवादी क्रमांक-01 के हित में वसियतनामा संपादित कर पंजीबद्ध कराया था, जिसके आधार पर विवादित भूमि पर प्रत्येक का हिस्सा $1/3$ अर्थात् 0.588 हैक्टेयर के वादीगण तथा प्रतिवादी क्रमांक-01 के कनैई की मृत्यु दिनांक-10.08.2009 के पश्चात् उपरोक्त अनुसार ही विवादित भूमि पर स्वामी हुये। वादीगण अनपढ़ व्यक्ति है, वह वसीयतनामों के अनुसार मौके पर काबिज रहे और समझते रहे कि राजस्व अभिलेखों में भी इसी के अनुसार नामांतरण हो गया होगा। प्रतिवादी क्रमांक-01 ने विवादित भूमि के $2/3$ भाग अर्थात् 1.034 हैक्टेयर पर अपना एवं $1/3$ भाग 0.732 हैक्टेयर पर वादीगण का नामांतरण करा कर बटांकन डलवा दिया, जिसकी जानकारी वादीगण को नहीं थी, और न ही उन्हें सुनवाई का अवसर दिया गया। प्रतिवादी क्रमांक-01 ने वादीगण के स्वत्व व अधिपत्य की भूमि पर कभी कोई बाधा नहीं डाली, परन्तु हिस्से अधिक भूमि पर नाम अंकित हो जाने के कारण प्रतिवादी क्रमांक-01 ने दिनांक-07.02.2014 को वादीगण को भूमि विक्रय करने की धमकी दी, जिसके बाद दिनांक-17.02.2014 को उप-पंजीयक कार्यालय मुंगावली से वसीयतनामों की प्रमाणित प्रतिलिपि एवं रिकार्ड शाखा से खसरे व खतौनी की सत्यप्रतिलिपि दिनांक-24.02.2015 को वादीगण ने प्राप्त की, तो उन्हें प्रतिवादी क्रमांक-01 का राजस्व अभिलेखों में हिस्से अधिक नामांतरण होने की जानकारी हुई। वाद कारण दिनांक-05.02.2014 को प्रतिवादी क्रमांक-01 के द्वारा भूमि विक्रय करने की धमकी देने एवं दिनांक 24.02.2015 को खसरे व खतौनी की सत्यप्रतिलिपि प्राप्त करने उत्पन्न हुआ, जिसके पश्चात् वाद का मूल्यांकन 2000/- रुपये करके निश्चित न्यायशुल्क 500/- के साथ यह वाद निर्णय के चरण क्रमांक-01 वर्णित सहायता प्राप्त करने बाबत प्रस्तुत किया गया है।

- 04— प्रतिवादी क्रमांक-01 की ओर से स्वीकृत तथ्यों से अन्यथा दावे का जबाब संक्षेप में इस प्रकार है कि कनैई की मृत्यु दिनांक-10.08.2006 को न होकर दिनांक-12.11.1989 में हुई थी तथा मृत्यु के उपरांत दिनांक-05.01.1992 को कनैई की संपत्ति पर मुलियाबाई का नामांतरण राजस्व अभिलेखों में हुआ था। वादीगण के द्वारा मुलियाबाई के नामांतरण पर कोई आपत्ति नहीं की गई तथा छल-पूर्वक कनैई की मृत्यु वर्ष 2009 में होना बताया है। वादीगण अनपढ़ व्यक्ति नहीं है उन्हें राजस्व अभिलेख तथा कानून का पूरा ज्ञान है तथा उन्हें सर्वे क्रमांक-274 पर हुये नामांतरण की पूरी जानकारी है। मुलियाबाई का विवादित भूमि पर नामांतरण होने के पश्चात् मुलिया बाई ने अपनी इच्छा के अनुसार दिनांक-31.03.1992 को वादीगण, प्रतिवादी क्रमांक-01 एव कल्लू के पक्ष में तीन पृथक-पृथक वसीयत संपादित की थी, जिसमें विवादित भूमि का रकबा-1.034 हैक्टेयर प्रतिवादी क्रमांक-01 को एवं 0.732 हैक्टेयर रकबा वसीयत के अनुसार वादीगण को प्राप्त हुआ था। मुलियाबाई की मृत्यु के उपरांत के अनुसार ही वादीगण तथा प्रतिवादी क्रमांक-01 का विवादित भूमि पर नामांतरण स्वीकार हुआ है जिसके विरुद्ध कोई अपील वादी के द्वारा नहीं की गई है, मुलियाबाई अपने जीवनकाल में प्रतिवादी क्रमांक-01 के साथ निवास करती थी तथा प्रतिवादी क्रमांक-01 ने ही उसकी काज-किया की है। वादीगण किसी भी प्रकार से प्रतिवादी क्रमांक-01 के हिस्से के 2/3 भाग पर स्वत्व प्राप्त करने का अधिकार नहीं रखते हैं। वादीगण को कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ, उनके द्वारा कम न्यायशुल्क अदाकर बिना कब्जों की सहायता के दावा प्रस्तुत किया है तथा दावा भी अवधि बाधित है जिसे सव्यय निरस्त किये जाने सहायता चाही है।
- 05— प्रकरण में प्रकरण में मेरे पूर्व अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अभिवचनों के आधार पर निम्नलिखित वादप्रश्न निर्धारित किये गये हैं। जिनके समक्ष उन पर मेरे द्वारा दिये गये निष्कर्ष अंकित हैं:—

क्रमांक	वाद प्रश्न	निष्कर्ष
01:—	क्या वादीगण ग्राम सराय, तहसील चंदेरी में स्थित भूमि सर्वे क्रमांक-274 रकबा-1.766 हैक्टेयर भूमि के 1/3-1/3 अर्थात् 0.588 हैक्टेयर भूमि के स्वत्वधारी है ?	प्रमाणित नहीं।
02:—	क्या वादीगण उक्तानुसार वादग्रस्त भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में अपने नाम नामांतरित कराने के अधिकारी है ?	प्रमाणित नहीं।

03:—	क्या प्रतिवादी क्रमांक-01 ने राजस्व कर्मचारियों से मिलकर वादग्रस्त भूमियों को गलत नामांतरण तथा बटाकन करा लिया है ?	प्रमाणित नहीं।
04:—	क्या प्रस्तुत वाद कब्जा वापिसी की सहायता के बिना प्रचलन योग्य है ?	प्रमाणित नहीं।
05:—	क्या प्रस्तुत वाद अवधि बाह्य है ?	प्रमाणित नहीं।
06:—	क्या वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद का उचित मूल्यांकन कर किया जाकर उस पर पर्याप्त न्याय शुल्क अदा किया गया है ?	आंशिक प्रमाणित।
07:—	सहायता एवं व्यय ?	निर्णय की कंडिका 34 अनुसार प्रदान की गई।

—ःसकारण निष्कर्षः—

वाद प्रश्न क्रमांक-01, 02, 03 का विवेचन एवं निष्कर्षः—

06—सुविधा की दृष्टि से एवं प्रकरण में आई साक्ष्य की पुर्नावृत्ति को रोकने के लिये उपरोक्त वाद प्रश्नों का विवेचन एक साथ किया जाकर निष्कर्ष दिया जा रहा है। प्रकरण में इस संबंध में कोई विवाद की स्थिति नहीं है कि विवादित भूमि पूर्व में कनैई के स्वत्व व अधिपत्य की भूमि थी, जो कनैई की मृत्यु के पश्चात् मुलिया बाई के नाम पर नामांतरित होकर राजस्व अभिलेखों में दर्ज हुई। उपरोक्त तथ्य की पुष्टि वादी की ओर से प्रस्तुत संबत् 2031-35 प्रदर्श-पी-05, खसरा संबत् 2036-40 प्रदर्श-पी-06 खसरा संबत् 2041-45 प्रदर्श-पी-07 खसरा संबत् 2046-50 प्रदर्श-पी-08, खसरा संबत् 2056-2060 प्रदर्श-पी-03, खसरा संबत् 2061-2065 प्रदर्श-पी-04 खसरा जिल्दबंदोबस्त संबत् 2013 प्रदर्श-पी-09 की सत्य प्रतिलिपि से होती है।

07—वादी हजारी लाल (वा0सा0-1) अभिवचन के अनुसार विवादित भूमि की वसीयत कनैई ने वादीगण तथा प्रतिवादी क्रमांक-01 के हित में संपादित की

थी जिससे कनैई की मृत्यु के पश्चात वादीगण तथा प्रतिवादीगण प्रत्येक का हिस्सा विवादित भूमि में $1/3-1/3$ था। उपरोक्त अभिवचनों के विपरीत स्वयं वादी हजारी लाल (वा0सा0-1) अपने सशपथ कथनों में कनैई द्वारा वादीगण तथा प्रतिवादी क्रमांक-01 के पक्ष में विवादित भूमि की वसीयत की जाने की तो पुष्टि करते हुये कथन देता है, परन्तु वह इसके अतिरिक्त वादी का कहना है कि वसीयत वादीगण तथा प्रतिवादी क्रमांक-01 के साथ मुलियाबाई को भी की गई थी, जिससे उनका सामान हिस्सा $1/4$ था और इस वसीयत के बाद मुलियाबाई ने 24 वर्ष पूर्व इसी विवादित भूमि की साढे तीन बीघा भूमि का वसीयतनामा वादीगण के पक्ष में अजीत कुमार जैन से लिखवाया, जिसके अनुप्रमाणक साक्षी अशोक कुमार पुत्र फुंदी लाल तथा मोहनलाल पुत्र दरूआ थे। हजारी लाल (वा0सा0-1) अपने कथनों में यह भी कहना है कि वसीयत के अनुसार मुलियाबाई का केवल $1/4$ भाग विवादित भूमि में होना चाहिये था।

08—हजारीलाल (वा0सा0-1) के द्वारा न्यायालय में दिये गये सशपथ कथन सर्व प्रथम तो उसके अभिवचनों के विपरीत है तथा मुलियाबाई के द्वारा की गई वसीयत या कनैई के द्वारा मुलिया बाई के पक्ष में की गई वसीयत का कोई उल्लेख वादी के अभिवचनों में नहीं है, जिससे इस संबंध में वादी की साक्ष्य अभिवचनों से परे होने से वैसे ही साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है। अभिवचन के अनुसार कनैई की वसीयत के आधार पर विवादित भूमि पर वादीगण अपना हिस्सा $1/3-1/3$ बताते हैं, परन्तु हजारीलाल (वा0सा0-1) उसी वसीयत के आधार पर विवादित भूमि में अपना हिस्सा $1/4$ बताता है, जिससे इस संबंध में भी विरोधाभास की स्थिति है कि वास्तव में कनैई की वसीयत यदि हुई थी, तो उस वसीयत से वादीगण का विवादित भूमि पर कनैई की मृत्यु के पश्चात् कितने भाग पर स्वत्व प्राप्त हुआ।

09—साक्ष्य अधिनियम की धारा-91 के अनुसार यदि विधि के द्वारा अपेक्षित किसी संपत्ति के व्ययनों के निबंधनों को दस्तावेज के रूप में लेखबद्ध कर लिया गया है, तो उक्त निबंधनों को साबित करने के लिये स्वयं उस मूल दस्तावेज के सिवाये या उन दशाओं में जिनमें द्वितीय साक्ष्य ग्राह्य है, के अलावा कोई साक्ष्य ग्राह्य नहीं होगी। वादी की ओर से कनैई के द्वारा निष्पादित जिस वसीयत का उल्लेख अपने अभिवचनों में तथा अपने सशपथ कथनों में किया गया है। उक्त मूल वसीयत वादीगण की ओर से प्रस्तुत नहीं की गई है बल्कि रजिस्ट्रार कार्यालय में बुक नंबर-03 में सधारित उक्त वसीयत की प्रति की सत्यप्रतिलिपि प्रदर्श-पी-10 वादीगण की ओर से प्रकरण में प्रस्तुत की गई

है। अतः मुख्य रूप से देखा यह जाना है कि वास्तव में प्रदर्श-पी-10 का दस्तावेज साक्ष्य अधिनियम की धारा-91 के प्रावधान के अनुरूप साक्ष्य में पढ़ा जा सकता है अथवा नहीं।

10—यह उल्लेखनीय है कि इस बात पर कोई संशय की स्थिति नहीं है कि प्रदर्श-पी-10 का दस्तावेज रजिस्ट्रार कार्यालय में पंजीयक के द्वारा संधारित किये जा रहे अभिलेख पंजी क्रमांक-03 कि मूल वसीयत की प्रति की प्रविष्टि की सत्यप्रतिलिपि है, जो कि पंजीयक के कार्यालय में संधारित की जा रही बुक क्रमांक-03 एक लोक सेवक के द्वारा लोक हैसियत में संधारित किया जा रहा अभिलेख होता है। इस लिये उस बुक क्रमांक-03 में पंजीयक के द्वारा की गई प्रविष्टि लोक दस्तावेज की श्रेणी में आती है, जिसकी सत्यप्रतिलिपि साक्ष्य में ग्रहण है, परन्तु इसका कतई यह अर्थ नहीं है कि प्रदर्श-पी-10 का दस्तावेज कनैई के द्वारा निष्पादित की गई मूल वसीयत की सत्यप्रतिलिपि के रूप में साक्ष्य में ग्राह्य हो सकता है। कोई भी वसीयत अपने आप में लोक दस्तावेज नहीं होता है, इसलिए वसीयत को प्रमाणित करने के लिये उसकी सत्यप्रतिलिपि साक्ष्य में ग्राह्य नहीं होती है। वसीयत को प्रमाणित करने के लिये या तो मूल निष्पादित की गई वसीयत को अभिलेख पर प्रस्तुत करना आवश्यक है और यदि मूल उपलब्ध न हो तो साक्ष्य अधिनियम की धारा-65 के प्रावधान के अनुसार उस वसीयत की द्वितीय साक्ष्य वसीयत को प्रमाणित करने के लिये अभिलेख पर प्रस्तुत की जा सकती है।

11—वर्तमान प्रकरण में वादीगण की ओर से धारा-65 साक्ष्य अधिनियम में वर्णित कोई अवस्थायें साबित नहीं की गई, जिससे मूल वसीयत की सत्यप्रतिलिपि द्वितीय साक्ष्य के रूप में ग्राह्य की जा सके, जहां तक प्रदर्श-पी-10 का प्रश्न है, तो उक्त दस्तावेज चूंकि रजिस्ट्रार कार्यालय में संधारित बुक नंबर-03 में की गई प्रविष्टि की सत्यप्रतिलिपि है, इसलिए उसे लोक सेवक के द्वारा उसमें की गई प्रविष्टि की सीमा तक ही साक्ष्य में पढ़ा जा सकता है तथा उक्त दस्तावेज न तो मूल दस्तावेज का विकल्प है और न ही उसे मूल वसीयत की द्वितीय साक्ष्य के रूप में पढ़ा जा सकता है। इस संबंध में माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के द्वारा न्यायदृष्टांत **Smt. Rekha Rana And Ors. vs Smt. Ratnashree Jain AIR 2006 MP 107** में प्रतिपादित अभिमत अवलोकनीय है जो कि विक्रयपत्र की सत्यप्रतिलिपि जो रजिस्ट्रार कार्यालय से प्राप्त की जाती है, के संदर्भ में है। माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने अभिमत दिया है किcertified copy issued by the Registration Officer in view of the certificates copied therein and the certificate made while issuing the

certified copy will prove (i) that a document has been presented before the Registration Officer for registration; (ii) that execution had been admitted by the person who claimed to be the executant of the document and (iii) that the document was thereafter registered in the Registration Office and entered (copied) in Book 1. It is not however proof of the fact that original sale deed was duly executed by the actual person described as Executant.

12—प्रतिवादी क्रमांक-01 के द्वारा अपने अभिवचनो में एवं स्वयं प्रतिवादी देवीसिंह (प्र0सा0-1) ने अपने न्यायालीन कथनों में कनेई की वसीयत को चुनौती दी है अतः मूल वसीयत प्रस्तुत न होने तथा वसीयत की सत्यप्रतिलिपि को द्वितीय साक्ष्य में ग्राह्य किये जाने के आधार प्रमाणित न करने से प्रदर्श-पी-10 की वसीयत धारा-91 साक्ष्य अधिनियम के प्रावधान के अनुसार कनेई के द्वारा की गई वसीयत में उल्लेखित निबंधनों को प्रमाणित करने के लिये साक्ष्य में ग्राह्य योग्य नहीं है।

13—यहां यह उल्लेखनीय है कि यदि तर्क के लिये प्रदर्श-पी-10 की वसीयत को ही मूल वसीयत का प्रमाण मान कर उस पर विचार किया भी जाये तब उक्त प्रदर्श-पी-10 का दस्तावेज अभिलेख पर प्रस्तुत कर देने से उसके अंतरवस्तु प्रमाणित नहीं होती है। भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार वसीयत को दो साक्षियों से अनुप्रमाण कराया जाना आवश्यक होता है तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा-68 के अनुसार ऐसे दस्तावेज को साबित करने के लिये कम से कम एक अनुप्रमाणक साक्षी को साक्ष्य में बुलाकर अनुप्रमाणन साबित किया जाना आवश्यक होता है। वादी हजारीलाल (वा0सा0-1) का अपने कथनों में हालांकि यह कहना है कि कनेई के द्वारा निष्पादित की गई वसीयत को अधिवक्ता अशोक जैन (वा0सा0-06) के द्वारा लिखवाकर पंजीयन कराया गया था, जिस पर अनुप्रमाणक साक्षी के रूप में दीपचंद जैन, अमीर घोसी एवं उसके पिता सुक्के उर्फ सुखलाल के गवाही के हस्ताक्षर कराये गये थे, जिनमें से उसके पिता सुखलाल अमीर घोसी की मृत्यु हो चुकी है। वहीं वसीयत के साक्षी दीपचंद भी फौत हो चुका है।

14—हजारीलाल (वा0सा0-1) के अनुसार कनेई के द्वारा की गई वसीयत का कोई अनुप्रमाणक साक्षी वर्तमान में जीवित नहीं है। यदि अनुप्रमाणक साक्षियों की मृत्यु हो जाती है या उनका पता नहीं चलता हैं तो वसीयत को साक्ष्य अधिनियम की धारा-69 के प्रावधान के अनुसार साबित किया जाना आवश्यक

होता है। साक्ष्य अधिनियम की धारा-69 के अनुसार किसी अनुप्रमाणक साक्षी का पता च चल सके अथवा यदि दस्तावेज का यूनाइटेड किंगडम में निष्पादित होना तात्पर्यित हो तो यह साबित करना होगा कि कम से कम एक अनुप्रमाणक साक्षी का अनुप्रमाण उसी हस्तलेख में है, तथा यह कि दस्तावेज का निष्पादन करने वाले व्यक्ति का हस्ताक्षर उसी व्यक्ति के हस्तलेख में है। अतः धारा-69 साक्ष्य अधिनियम के प्रावधान के अनुसार अनुप्रमाणक साक्षियों की पता न चलने अथवा फौत हो जाने पर वसीयत साबित करने के लिये प्रमुख रूप से निम्नलिखित दो बिंदू साबित किया जाना आवश्यक है।

01—यह कि कम से कम एक अनुप्रमाणक साक्षी का अनुप्रमाण वसीयत पर उसी हस्तलेख में है।

02—यह कि वसीयत का निष्पादन करने वाले व्यक्ति के वसीयत पर हस्ताक्षर उसी हस्तलेख में है।

15—उपरोक्त प्रावधान से यह स्पष्ट होता है कि धारा-69 के अनुसार वसीयत को साबित करने के लिये मात्र अनुप्रमाणक साक्षी के हस्ताक्षरों को उसकी हस्तलिपि में साबित किये जाने के अपेक्षा अनुप्रमाणक साक्षी का वसीयत पर अनुप्रमाणन उसी के हस्तलेख में साबित किया जाना आवश्यक है। वहीं दूसरी ओर वसीयत पर वसीयतकर्ता के हस्ताक्षर भी साबित किया जाना आवश्यक है।

16—हजारी लाल (वा0सा0-1) ने अपने कथनों में वसीयत के अनुप्रमाणक साक्षी के फौत होने के कारण उक्त वसीयत को प्रमाणित करने के लिये मुख्य रूप से अनुप्रमाणक साक्षी दीपचंद जैन के पुत्र नरेश कुमार उर्फ रिकू जैन (वा0सा0-03) के कथन न्यायालय में कराये हैं, वही साथ ही कनैई की वसीयत ड्राफ्ट करने वाले अधिवक्ता अशोक कुमार (वा0सा0-06) के कथन न्यायालय में कराये गये हैं। साक्षी रिकू जैन (वा0सा0-03) ने अपने सशपथ कथनों में अपने पिता दीपचंद जैन के फौत होने की पुष्टि करते हुये प्रदर्श-पी-10 पर अपने पिता के हस्ताक्षरों की पहचान की है, परन्तु मात्र हस्ताक्षरों की पहचान करने से भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा-69 के प्रथम शर्त की पूर्ति नहीं होती है कि अनुप्रमाणक साक्षी का अनुप्रमाणन उसी हस्तलिपि में साबित किया जाये। क्योंकि उपरोक्त प्रावधान में 'अनुप्रमाणन' शब्द का उल्लेख है, जो कि 'हस्ताक्षर' का विकल्प नहीं हो सकता है।

17—इसी प्रकार अशोक कुमार जैन (वा0सा0-06) ने अपने कथनों में प्रदर्श-पी-10 की वसीयत को ड्राफ्ट करने एवं उस पर अपने हस्ताक्षरों की तो पहचान की

है, परन्तु वसीयतकर्ता और साक्षियों के हस्ताक्षर के संबंध में इस साक्षी का स्पष्ट कहना है कि वह मूल वसीयत देखकर ही यह स्पष्ट कर सकता है कि वास्तव में प्रदर्श-पी-10 पर वसीयतकर्ता का और साक्षियों का अंगूठा चिन्ह है अथवा नहीं। इस साक्षी का प्रतिपरीक्षण की कण्डिका तीन में यह कहना है कि वह वसीयतकर्ता कनैई को वह व्यक्ति रूप से जानता था अथवा नहीं, वह आज नहीं बता सकता है। अतः स्पष्ट है कि कनैई से बिना किसी जान पहचान के मात्र वसीयत को ड्राफ्ट करने के आधार पर यह साक्षी वैसे भी वसीयतकर्ता के वसीयत पर अंगूठा चिन्ह कि पहचान करने एवं धारा-69 साक्ष्य अधिनियम की दूसरे खण्ड को साबित करने के लिये सक्षम नहीं है।

18—अतः उपरोक्त आधार पर सर्वप्रथम तो कनैई की मूल वसीयत अभिलेख पर नहीं है। वहीं उक्त वसीयत की सत्यप्रतिलिपि को साक्ष्य में ग्राह्य करने के लिये धारा-65 साक्ष्य अधिनियम के उपबंधों को साबित नहीं किया गया है। जिससे मूल वसीयत की द्वितीय साक्ष्य के रूप में प्रदर्श-पी-10 साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है। तर्क के लिये यदि प्रदर्श-पी-10 को ही मूल वसीयत मान कर उस पर विचार किया जावे, तो वादी धारा-69 साक्ष्य अधिनियम के प्रावधान के अनुसार कनैई की वसीयत को साबित करने में सफल नहीं हुआ है।

19—यह उल्लेखनीय है कि प्रकरण में यह विवादित नहीं है कि कनैई की मृत्यु के बाद विवादित भूमि पर उसकी पत्नी मुलिया बाई का नामांतरण स्वीकार हुआ था तथा मुलियाबाई ने अपने जीवन काल में उपरोक्त विवादित भूमि की 3.5 बीघा भूमि की वसीयत वादीगण को थीं तथा पांच बीघा भूमि की वसीयत देवीसिंह (प्र0सा0-1) को की थी। वादीगण ने हालांकि उपरोक्त संबंध में अभिवचन नहीं दिये हैं, परन्तु हजारीलाल (वा0सा0-1) ने उपरोक्त वसीयतों को जो कि प्रकरण में वादी की ओर से प्रदर्श-पी-14 एवं प्रतिवादी की ओर से प्रदर्श-डी-01 के रूप में प्रस्तुत हैं, का निष्पादन मुलियाबाई के द्वारा किया जाना एवं उक्त वसीयतों के संबंध में कोई विवाद न होना स्वीकार किया है।

20—वादीगण के पक्ष में मुलियाबाई के द्वारा की गई वसीयत प्रदर्श-पी-14 के अनुप्रमाणक साक्षी अशोक कुमार पुत्र फुंदी लाल व मोहन लाल (वा0सा0-04) हैं, जिनमें से अशोक कुमार के फौत होने के बाद उक्त वसीयत को प्रमाणित करने के लिये अशोक कुमार के भाई महावीर (वा0सा0-2) सिंह के कथन वादीगण की ओर से न्यायालय में कराये गये हैं, वहीं प्रदर्श-पी-14 के वसीयत के जीवित अनुप्रमाणक साक्षी मोहन लाल (वा0सा0-04) के भी शपथ

पर कथन न्यायालय में कराये गये हैं। यह उल्लेखनीय है कि मुलियाबाई के द्वारा की गई वसीयत प्रदर्श-पी-14 व प्रदर्श-डी-01 के अनुप्रमाणक साक्षी एक ही हैं, जिसके कारण प्रतिवादी क्रमांक-01 की ओर से प्रदर्श-डी-01 को साबित करने के लिये किसी अनुप्रमाणक साक्षी के कथन अपने समर्थन में नहीं कराये हैं।

21—महावीर सिंह (वा0सा0-2) ने अपने कथनों में प्रदर्श-पी-14 पर अपने भाई अशोक कुमार के हस्ताक्षर की पहचान की है, वही इस साक्षी ने प्रदर्श-डी-01 पर भी अपने भाई के हस्ताक्षरों की पहचान की है। मोहन लाल (वा0सा0-04) ने अपने सशपथ कथनों में प्रदर्श-पी-14 का विधिवत् धारा-68 साक्ष्य अधिनियम के तहत अनुप्रमाणन साबित करने हुये उक्त वसीयत का निष्पादन अपने व अशोक कुमार के समक्ष मुलियाबाई के द्वारा वादीगण के पक्ष में की जाने की पुष्टि की है तथा वसीयत पर स्वयं का अंगूठा लगाये जाना व उसके समक्ष मुलियाबाई के पूरे होश हबाश में अंगूठा लगाया जाना स्वीकार किया है। इस साक्षी प्रतिपरीक्षण में मुलियाबाई के द्वारा प्रतिवादी क्रमांक-01 के पक्ष में की वसीयत प्रदर्श-डी-01 का निष्पादन भी स्वीकार किया है तथा यह स्वीकार किया है कि मुलियाबाई ने देवीसिंह (प्र0सा0-1) को पांच बीघा की रजिस्ट्री एवं वादीगण को 3.5 बीघा की रजिस्ट्री की थीं।

22—उप पंजीयक रामसेवक चतुर्वेदी (वा0सा0-05) ने अपने न्यायालीन कथनों में इस बात की पुष्टि की है कि दिनांक-31.03.1992 को मुलिया बाई ने प्रदर्श-डी-01 व प्रदर्श-पी-14 सहित एक अन्य वसीयत प्रदर्श-पी-16 का पंजीयन रजिस्ट्रार कार्यालय में कराया था, जिसकी प्रति रजिस्ट्रार कार्यालय में पंजी क्रमांक-01 में संधारित है।

23—महावीर सिंह (वा0सा0-2) की साक्ष्य से एवं दोनों पक्षों के द्वारा प्रकरण में कि गई स्वीकृति के आधार पर मुलियाबाई के द्वारा वादीगण के पक्ष में की गई वसीयत प्रदर्श-पी-14 एवं प्रतिवादी क्रमांक-01 के पक्ष में की गई वसीयत प्रदर्श-डी-01 प्रमाणित होती है। यह उल्लेखनीय है कि वादीगण के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा तर्क के दौरान यह मुख्य रूप से इस बात पर बल दिया गया है कि कनैई के द्वारा मुलिया बाई को वसीयत के द्वारा मात्र विवादित भूमि के उपयोग व उपभोग का अधिकार दिया गया था, इसलिए मुलियाबाई को वसीयत करने का कोई अधिकार नहीं था। उपरोक्त तर्क के संबंध में यह उल्लेखनीय है कि यदि मुलियाबाई को वसीयत करने का अधिकार नहीं था तो

हजारी लाल (वा0सा0-1) अपने सशपथ कथनों की कण्डिका-6 में यह कैसे कह सकता है कि मुलिया बाई के वसीयत के आधार पर भी उसे विवादित भूमि में अंश प्राप्त हुआ था। अतः उपरोक्त तर्क वादीगण के और से प्रस्तुत अभिवचन एवं मौखिक साक्ष्य के विपरीत है।

24—सर्वप्रथम तो यह उल्लेखनीय है कि वादीगण के द्वारा कनैई की वसीयत को साबित नहीं किया गया है तथा रजिस्ट्रार कार्यालय में पंजी क्रमांक-03 में संधारित उक्त रजिस्ट्री की प्रति प्रदर्श-पी-10 के रूप में अभिलेख पर प्रस्तुत की गई थी परन्तु मात्र उक्त प्रति के प्रस्तुत कर देने से वसीयत की अंतरवस्तु स्वतः साबित नहीं होती है। वादी उक्त वसीयत को विधिवत साबित करने में असफल रहा हैं। यदि तर्क के लिये कनैई की वसीयत को भी विचार में लिया जाये तो यह प्रश्न समक्ष आता है कि वास्तव में कनैई ने मात्र अपनी वसीयत में अपनी पत्नी को विवादित भूमि के उपयोग व उपभोग का अधिकार दिया था, क्योंकि यदि ऐसा था तो निश्चित रूप से मुलिया बाई को विवादित भूमि की वसीयत करने का कोई अधिकार नहीं रह जाता।

25—हजारी लाल (वा0सा0-1) के प्रतिपरीक्षण की कण्डिका-15 में स्वयं प्रतिवादी क्रमांक-01 की ओर से कनैई की वसीयत को चुनौती दिये जाने के बाद भी सुझाव के माध्यम से उक्त वसीयत के निष्पादन को स्वीकार किया है तथा हजारीलाल (वा0सा0-1) ने यह स्वीकार किया है कि वसीयत में यह लेख था कि समस्त जायदाद कनैई के मरने के बाद उसकी मालिक उसकी पत्नी होगी तथा पत्नी के बाद वादीगण तथा प्रतिवादीगण होंगे। प्रदर्श-पी-10 में अंतर्विष्ट उपरोक्त शर्त अपने आप में स्पष्ट है कि मुलियाबाई को कनैई के द्वारा विवादित भूमि के मात्र उपयोग व उपभोग के अधिकार नहीं दिये गये थे बल्कि विवादित भूमि का मालिक बनाया गया था और यदि मुलियाबाई के जीवन काल में उक्त भूमि शेष बचती है कि तो वह वादीगण तथा प्रतिवादी क्रमांक-01 को प्राप्त होती। अतः स्पष्ट है कि मुलियाबाई को कनैई की मृत्यु के पश्चात् विवादित भूमि का स्वामित्व वसीयत के आधार पर प्राप्त हुआ था और इसी कारण से एक मात्र उसके नाम का नामांतरण राजस्व अभिलेखों में हुआ था और वह अपने जीवन काल में उक्त विवादित भूमि का किसी प्रकार से व्ययन करने के लिये समक्ष थीं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि मुलिया बाई के जीवनकाल में विवादित भूमि पर वादीगण तथा प्रतिवादी क्रमांक-01 को कोई अधिकार नहीं था और चूंकि मुलिया बाई के द्वारा अपने जीवनकाल में ही प्रदर्श-पी-14 व प्रदर्श-डी-01 की वसीयत का निष्पादन विवादित भूमि के संबंध में कर दिया गया था जो इस प्रकरण में दोनों पक्षों को स्वीकार है तथा

उसका विधिवत् निष्पादन साबित हुआ है, इसलिए उक्त वसीयत प्रदर्श-पी-14 व प्रदर्श-डी-01 के आधार पर ही वादीगण तथा प्रतिवादी क्रमांक-01 को विवादित भूमि में अधिकार प्राप्त होंगे।

26—उपरोक्त आधार पर वादीगण को विवादित भूमि में प्रदर्श-पी-14 की वसीयत के आधार पर मात्र रकबा-0.732 हैक्टेयर एवं प्रतिवादी क्रमांक-01 को प्रदर्श-डी-01 की वसीयत के आधार पर विवादित भूमि में रकबा 1.034 हैक्टेयर पर स्वामित्व के अधिकार प्राप्त हुये जिसके संबंध में भी विवादित भूमि का बंटाकन होकर सर्वे क्रमांक-274 मिन-02 रकबा-0.732 हैक्टेयर पर वादीगण का जो नामांतरण स्वीकार हुआ है, एवं प्रतिवादी क्रमांक-01 का विवादित भूमि सर्वे क्रमांक-274 मिन-01 रकबा-1.034 हैक्टेयर पर नामांतरण स्वीकार हुआ जो प्रदर्श-पी-01 व प्रदर्श-पी-02 के दस्तावेजों से स्पष्ट होता है,

27—परिणाम स्वरूप अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह प्रमाणित नहीं होता है कि वादीगण विवादित भूमि के पृथक-पृथक $1/3-1/3$ भाग अर्थात् 0.588 हैक्टेयर भूमि के स्वत्व धारी हैं तथा उक्त आधार पर अपना नामांतरण कराने के अधिकारी है, साथ ही यह भी प्रमाणित नहीं होता है कि प्रतिवादी क्रमांक-01 ने राजस्व कर्मचारियों से मिलकर वाद ग्रस्त भूमि का गलत नामांतरण तथा बंटाकन करा लिया है। अतः उपरोक्त आधार पर वाद प्रश्न क्रमांक 1, 2 व 3 प्रमाणित न होने से उनका निष्कर्ष नकारात्मक दिया जाता है।

वाद प्रश्न क्रमांक-04 का विवेचन एवं निष्कर्ष:—

28—वादीगण की ओर से प्रस्तुत दावे को प्रतिवादी क्रमांक के द्वारा इस आधार पर चुनौती दी गई है कि वादी ने कब्जे की सहायता के बिना स्वत्व घोषित किये जाने की सहायता चाही है जिससे यह दावा प्रचलन योग्य नहीं है। जिसके संबंध में यह उल्लेखनीय है कि निश्चित रूप से हजारीलाल (वा0सा0-1) ने अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका-18 में यह स्वीकार किया है कि मुलियाबाई के द्वारा की गई वसीयत के आधार पर देवीसिंह (प्र0सा0-1) वसीयत के अनुसार भूमि पर खेती कर रहा है तथा कब्जों का कोई विवाद नहीं है। जबकि वादीगण के अभिवचनों में वादीगण ने $1/3-1/3$ भाग पर अपना अधिपत्य होने के संबंध में अभिवचन किये हैं तथा उपरोक्त के अनुसार ही स्वत्व घोषित किये जाने की सहायता चाही हैं।

29—वादीगण की ओर से प्रस्तुत दावे में चाही गई सहायता दावे में किये गये अभिवचन के तारतम्य में ही देखी जानी है, भले ही पश्चातवर्ती प्रक्रम पर उक्त अभिवचन प्रमाणित न हो सके। वादीगण ने विवादित भूमि पर $1/3-1/3$ भाग पर अपना अधिपत्य होना अपने अभिवचनों में कथित किया है जो भले ही बाद में प्रमाणित न हुआ हो परन्तु दावा प्रस्तुति के समय यदि विवादित भूमि पर वादीगण द्वारा अपना अधिपत्य होना कथित किया गया है, तो उन्हें मात्र स्वत्व घोषित किये जाने की ही सहायता चाहना पर्याप्त है जिससे यह दावा पूरी तरफ से प्रचलनशील था। परिणामतः इस दावे में विवादित भूमि पर अपना कब्जा मांग कर मात्र स्वत्व घोषित किये जाने की सहायता चाहने में वादीगण के द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है। अतः वाद प्रश्न क्रमांक 04 प्रमाणित न होने से उसका निष्कर्ष नकारात्मक दिया जाता है।

वाद प्रश्न क्रमांक—05 का विवेचन एवं निष्कर्ष:—

30—वादीगण के द्वारा अपने अभिवचनों में दिनांक—07.02.2014 को प्रतिवादी क्रमांक—01 के द्वारा वादीगण को विवादित भूमि बेचने का कहने से एवं हिस्से के अनुसार अधिक भूमि पर वादीगण का कब्जा बताने एवं दिनांक—17.02.2014 को एवं दिनांक—24.02.2015 को वसीयत व खसरो की नकल निकालने पर विवादित भूमि पर अधिक रकबे पर प्रतिवादी क्रमांक—01 का नामांतरण होने की जानकारी लगने पर दिनांक—24.02.2015 को वाद कारण उत्पन्न होना बताते हुये यह वाद दिनांक—01.07.2015 को प्रस्तुत किया गया है, जिसको चुनौती देते हुये प्रतिवादी क्रमांक—01 ने अपने अभिवचनों में दावे को अवधि बाधित बताया है।

31—प्रतिवादी क्रमांक—01 ने दावे को अवधि बाधित होना अपने अभिवचनों में तो कथित किया है परन्तु किस प्रकार दावा अवधि बाधित है, यह कहीं भी स्पष्ट नहीं किया है। निश्चित रूप से मुलियाबाई के द्वारा की गई वसीयत दिनांक—31.03.1992 की जानकारी होना वादीगण ने अपने अभिवचनों में स्वीकार किया है परन्तु वादीगण ने कनैई की वसीयत के आधार पर भी विवादित भूमि में अपना हिस्सा होना बताया है, तथा यह अभिवचन किये है कि उनका $2/3$ भाग पर स्वत्व व अधिपत्य था परन्तु राजस्व अभिलेखों की प्रति प्राप्त होने पर उन्हें प्रतिवादी क्रमांक—01 का विवादित भूमि पर अधिक रकबे पर नामांतरण होने की जानकारी दी थी, जो कि दिनांक—24.02.2015 को प्राप्त होना बताया गया है, जिससे वाद कारण उचित प्रतीत होता है और उक्त वाद कारण से प्रस्तुत वाद समय अवधि में है। अतः वाद प्रश्न

कमाक-05 का प्रमाणित न होने से उसका निष्कर्ष नकारात्मक दिया जाता है।

वाद प्रश्न कमांक-06 का विवेचन एवं निष्कर्ष:-

32-वादीगण के द्वारा विवादित भूमि पर 1/3-1/3 भाग पर मात्र अपना स्वत्व घोषित किये जाने की सहायता चाही गई हैं तथा साथ ही यह घोषित किये जाने की सहायता चाही गई है कि वह अपना नाम राजस्व अभिलेखों में नामांतरण कराने के अधिकारी है एवं रकबा-1.034 हैक्टेयर पर प्रतिवादी कमांक-01 का नामांतरण गलत हुआ है। उपरोक्त तीन सहायताओं को यदि देखे तो मुख्य सहायता विवादित भूमि पर 1/3-1/3 पर स्वत्व घोषित किये जाने की हैं तथा साथ ही अन्य दो सहायतायें भी पृथक पृथक घोषणात्मक सहायतायें हैं जिनके के लिये निश्चित न्यायशुल्क 500/- रुपये पृथक पृथक अर्थात् 1500/- रुपये वादी को अदा करना था, तथा वादीगण वाद का मूल्यांकन करने के लिये स्वतंत्र था।

33-अतः स्पष्ट है कि वादीगण ने वाद का मूल्यांकन तो उचित किया है परन्तु चाही गई सहायताओं के लिये उसे 1500/- रुपये न्यायशुल्क अदा करना था, जो कि उसने मात्र 500/- रुपये अदा किया है। अतः वाद प्रश्न कमांक 06 आंशिक रूप से इस बिंदू पर प्रमाणित नहीं होता है कि वादीगण के द्वारा पर्याप्त न्यायशुल्क अदा नहीं किया गया है, परन्तु यह प्रमाणित कि वादीगण ने वाद का मूल्यांकन उचित किया है।

सहायता एवं वाद व्यय-

34- वादीगण अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर विवादित भूमि पर अपना 1/3-1/3 भाग पर स्वत्व व अधिपत्य साबित करने में पूरी तरफ से असफल रहा है जिससे यह वाद प्रमाणित न होने से निरस्त किया जाता है, तथा निम्न आशय की आज्ञाप्ति पारित की जाती है।

01:- यह वाद प्रमाणित न होने से निरस्त किया जाता है।

02:- वादी व प्रतिवादीगण अपना अपना वाद व्यय वहन करेंगे।

03:- अधिवक्ता शुल्क की राशि प्रत्येक दशा में भुगतान के प्रमाणीकरण के अधीन नियम 523 म.प्र. व्यवहार न्यायालय नियम एवं आदेश के अनुसार संगणित या जो

वास्तविक रूप से भुगतान की गई हो तथा जो न्यून हो
व्यय में जोड़ा जावे।

तदनुसार डिक्री की रचना की जावें ।

निर्णय आज दिनांक को दिनांकित
मुद्रांकित एवं हस्ताक्षरित कर घोषित
किया गया।

मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

(आसिफ अहमद अब्बासी)
अति. व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—1
चन्देरी, जिला अशोकनगर म.प्र.

(आसिफ अहमद अब्बासी)
अति. व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—1
चन्देरी, जिला अशोकनगर म.प्र.